



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Order No:- 189AR/2018-19

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(गु०)
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2018-19/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 01.05.2018

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri K.G. Kenye**, के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 791 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2018-19 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	LAISOR KEITZAR			
ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.				
2	HRIDHINANDAN BHATTACHARJEE			
ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.				
3	ABHISHEK ROY			
ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.				
4	VANSH TOMAR			
INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE STATE OF NAGALAND				
5	IMSULEMLA LONGKUMER	SH. R LIMA LONGKUMER, 295, LENGRIJAN, DIMAPUR, NAGALAND, MOBILE: 9612198334, E-MAIL: temjenkala1974@gmail.com	VII	SEWAK PROJECT DIMAPUR, NAGALAND
6	NUKSUNG MENLA LONGKUMER	SH. R LIMA LONGKUMER, 295, LENGRIJAN, DIMAPUR, NAGALAND, MOBILE: 9612198334, E-MAIL: temjenkala1974@gmail.com	VI	SEWAK PROJECT DIMAPUR, NAGALAND
7				
NOT RECOMMENDED BY MP				
8				
NOT RECOMMENDED BY MP				
9				
NOT RECOMMENDED BY MP				
10				
NOT RECOMMENDED BY MP				

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2018-19 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **15.05.2018** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) 115718

प्रतिलिपि:

1. Shri K.G. Kenye, माननीय संसद सदस्य C-304 Swarna Jayanti Sadan, Dr. B.D. Marg, New Delhi. 110001:- सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, TINSUKIYA संभाग को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।